

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रपति](#) द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में नए [राज्यपालों](#) की नियुक्ति की।

- असम से पूर्व लोकसभा सदस्य रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

मुख्य बटु

- वह वर्तमान राज्यपाल वशुवभूषण हरचिंदन का स्थान लेंगे, जनिहें फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था।
- राज्यपाल:
 - राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रावधान भारतीय संवधान के भाग VI में नहिति हैं।
 - अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल राज्य के संवधानिक प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - वह भारतीय राजनीति की संघात्मक प्रणाली का हस्तिा है और संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।
 - भारतीय संवधान के [अनुच्छेद 157](#) और [अनुच्छेद 158](#) राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।